कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर

पत्रांक 182–मेड / कानपुर / 2017 / पैथोलाजी दिनांक 07–08–2017

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

उपमंडलीय चिकित्सालय,उ0म0रे0 कानपुर में बर्हिस्रोतों द्वारा पैथोलाजी जाँच सेवायें प्रदान करने हेतु विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, कानपुर पैथोलाजी जांच से सम्बन्धित योग्य पैथियोंलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना डायग्नोस्टिक सेन्टर चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य पैथियोंलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाि" ात होने के पन्द्रह (15)दिन के अन्दर सोजीएचएस 2017–18(एनएबीएल / नॉन–एनएबीएल) कानपुर की दरों पर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं –

1. पैथियोंलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली डायग्नोस्टिक सेन्टर का आव" यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला – कानपुर द्वारा पंजीकृत होना आव" यक है। एनएबीएल डायग्नोस्टिक सेंटरों को प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जायेगी ।
2. पैथोलाजी सेन्टर की सेवायें नॉन–एनएबीएल अथवा एनएबीएल सीजीएचएस 2017–18 कानपुर की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी
3. रेलवे रोगियों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारो एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / कानपुर द्वारा किए गये काउंटर हस्ताक्षर उपरान्त डायगनोस्टिक सेंटर संचालक द्वारा एक योग्य पैथालाजिस्ट को प्रातः 08.00 बजे से ओ.पी.डी. समाप्त होने के आधे घण्टे अतिरिक्त समय देकर जॉच करना अनिवार्य होगा ।
4. अधिकृत रेल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
5. भुगतान की पद्वति नॉन–एनएबीएल अथवा एनएबीएल सीजीएचएस 2017–18 कानपुर की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा होगी।
6. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक / उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा Arbitration Act (26) 1966 की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की द" ाा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। असहमति की द" ाा में प्रकरण जिला न्यायालय, कानपुर के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
7. नामांकन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, कानपुर द्वारा प्रमाणित एनएबीएल / नॉन–एनएबोएल अथवा एनएबीएल सीजीएचएस 2017–18 कानपुर की रेट लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ पेथोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, एक सील बन्द लिफाफा के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0म0रे0, कानपुर (उ0प्र0) 208004 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में समय का वि" ोश ध्यान रखते हुए प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे (शनिवार को दोपहर 01:00 बजे तक) जमा करें।
8. जॉच की रिपोर्ट 24 घण्टे के अन्दर तिथि एवं समय के अनुसार इस चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा , कुछ वि" ोश जॉच में अतिरिक्त समय की छूट है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, कानपुर

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL SUPDT,SDH,NCR,KANPUR.

No-182-Med/CNB-2017/Pathology Dated:-07.08.2017

EXPRESSION OF INTEREST

ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE PATHOLOGY SERVICES FOR SUB. DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL, KANPUR

CMS/NORTH CENTRAL RAILWAY/Kanpur is inviting applications from qualified pathologists and running Diagnostic Centers for outsourcing the investigations of pathology. Willing pathologists and Diagnostic Centers owner need to apply within 15 (fifteen) days at CGHS Rates 2017-18 NABL/Non NABL of publication of this ADVERTISEMENT.

Following conditions are mandatory -

1. The pathologists should have a well equipped & registered diagnostic Centre (registered with Chief Medical Officer/District Kanpur).NABL Diagnostic Centre will be preferred at first priority basis.
2. The rates of pathology investigation should be based on Non-NABL or NABL CGHS 2017-18 Kanpur rates list, which will be applicable for complete three years, means years which will be effective from date of approval of this agreement.
3. Railway beneficiaries will be referred to you with a proper reference letter for testing pathology investigations, owner will be provide a perfect pathologist from morning 08 O'clock to 30 minutes extra after closing of OPD timing, letter from Sub Division Railway Hospital, North Central Railway Kanpur Signed by authorized Medical Officer & counter signed by CMS/Kanpur.
4. No payment will be charged from Railway Employees, their dependents & retired railway employees duly referred by authorized Railway Medical Officer.
5. The mode of payment will be done on bill system based on Non-NABL or NABL CGHS 2017-18 Kanpur rate list.
6. All the disputes or differences will be resolved by Arbitrator deputed by G.M/NCR/Allahabad, the Arbitration Act (26) of 1996 will be applicable for this, if disagreed with the decision of the Arbitrator an appeal can be made to G.M./NCR/Allahabad & his decision will be accepted by both the parties, further disagreeing upon the matter can be taken to Kanpur district court.
7. All documents containing copy of registration certificate, experience proving documents, Non-NABL or NABL CGHS 2017-18 Kanpur rate list, with the signature of the pathologist on every page in a sealed envelope should be deposited proper time in the office the Chief Medical Superintendent/North Central Railway /Kanpur (U.P.) 208004 during office hours from 10 A.M. to 5:00 PM (01:00 PM on Saturday) on all working days.
8. The report will be submitted with in 24 hrs from date & time of collection exept in few special investigations, which require extra time.

Chief Medical Supdtt.
NCR, Kanpur